न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेष, ग्वालियर
समक्ष : श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 315–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–06–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 173/06–07/निगरानी.

1– बलराम सिंह पुत्र मंगलसिंह
2– जमुना देवी पत्नी बलराम सिंह धाकड़
निवासीगण ग्राम विनायक खेड़ी तह
व जिला गुना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सीताराम पुत्र विष्वनाथ ताटके
2– सुभाष ताटके
3– अविनाश ताटके
पुत्रगण राजाराम ताटके
निवासीगण ताटके का बाड़ा
जिला गुना म.प्र. ——— अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.वाजपेयी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10–07–2014 पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 173/06–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–06–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत ष्प्रस्तुत की गई ।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक बलराम ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा –204 के अंतर्गत प्रस्तुत कर ग्राम विनायक खेड़ी की भूमि के फर्जी नं0 निरस्त किये जाने ओर आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि को दवाया जाकर रकवा कम किये जाने के फलस्वरूप सुधार किये जाने की मांग की गयी । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्र. क्र. 7/अ–74/2006–07 दर्ज कर दिनांक 12–03–07 के द्वारा साक्ष्य के आभाव में आवेदन अस्वीकार किया गया । इस आदेश के

विरूद्ध आवेदकों द्वारा अपर कलेक्टर, गुना के न्यायालय में अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 23–5–07 द्वारा निरस्त की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4– अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपने आवेदन के समर्थ में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । अनावेदकों द्वारा जिन न्यायालयीन प्रकरणों का संदर्भ दिया गया है उनके विरूद्ध भी आवेदिका ने कोई प्रमाण पेश नहीं किया है और ना ही व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा दिए जाने बावत कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश की है । उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में अदम पैरवी में दिनांक 25–4–07 को निरस्त किया गया जिसे पुनः नुबर पर लेने बावत आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 35(3) का आवेदन पेश किया जिस पर सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने आवेदिका के इस तर्क को कि उसकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया, अमान्य किया है तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों की पुष्टि अभिलेख से होती है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर